IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-33/17

ETBARI DAS & OTHERS.......................................PLAINTIFFS

Vs.

BALDEV DAS & OTHERS....................................DEFENDANTS

08.11.19 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी संख्या–18 की ओर से शपथ–पत्र से समर्थित प्रतिवाद–पत्र दाखिल किया गया। पुकार पर उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक– 06.09.19 पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या–13 गणेश दास का निधन दिनांक– 29.07.19 को हो गया है, जिनके वारिसान को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है, परन्तु विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में 200/– रु0 पर स्वीकृत किया जाता है। वादी सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

प्रतिवादी संख्या–18 के प्रतिवाद–पत्र ग्रहण के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त प्रतिवाद–पत्र समय–सीमा के बाहर दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में 500/– रु0 खर्च पर विचरणार्थ ग्रहण किया जाता है।

दिनांक– 20.12.19 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएँ।

अवर न्यायाधीश